

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] No. 36] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 12, 2000/पौष 22, 1921 NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 12, 2000/PAUSA 22, 1921

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2000

आयकर

सा. का. नि. 37(अ). — चूंकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोपीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और न्यूजीलैंड की सरकार के बीच हुआ अनुबंधित अभिसमय के द्वितीय प्रोतोकोल के अनुसार उक्त द्वितीय प्रोतोकोल को लागू करने के लिए द्वितीय प्रोतोकोल के अनुच्छेद 9 के अन्तर्गत दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा अपने-अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में एक दूसरे के लिए पश्चात्वर्ती अधिस्चनाओं के प्राप्त होने के तीस दिन पश्चात् अर्थात् 30 दिसम्बर, 1999 को प्रवृत्त हो गया है।

ं इसिलए अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त द्वितीय प्रोतोकोल के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे।

> [अधिसूचना सं. 11202/फा. सं. 500/151/93-वि.क.प्र.] विजय माथुर, संयुक्त सचिव

अनुबंध

आय पर करों के संबंधों में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोपीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और न्यूजीलैंड की सरकार के बीच अभिसमय का द्वितीय प्रोतोकोल।

आय पर करों के संबंध में किलीय अपसंचन को रोकने तथा दोहरे कराधान के परिहार के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

न्यूजीतैंड की सस्कर

के बीच अभिसमय

भारत गणराज्य की सरकार और न्यूजीलैंड की सरकार,

आय पर करों के संबंध में कितीय अपवंचन को रोकने तथा दोहरे कराधान के परिहार के लिए भारत गणराज्य की सरकार और न्यूजीलैंड की सरकार के बीच आकर्लेंड में दिनांक 17 अक्तूबर, 1986 को किए गए अभिसमय को ध्यान में रखकर हजो इसके पश्चात् "अभिसमय" के रूप में उल्लिखित हैहें :

निम्नानुसार सहमित करते हैं :-

अनुस्केद - 1

अभिसमय के अनुच्छेद 3 के पैरा 18क8 8iii8 के स्थान पर निम्निलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

" हैं i i है 'भारत' पद का आशय भारत के राज्य क्षेत्र से है और इसमें राज्य क्षेत्रीय समुद्र और इसके उत्पर की वायु सीमा तथा साथ ही साथ कोई अन्य सामुद्रिक क्षेत्र जो भारत के सम्प्रभु अधिकार में हो, समुद्र पर कानून के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय के साथ-साथ अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप और भारतीय कानून के अनुसार अन्य अधिकार और कार्यक्षेत्र शामिल हैं;

अनुच्छेद - 2

अभिसमय के अनुच्छेद – 4 के पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"3• यदि पैरा 1 के उपबंधों में दिए गए तर्क के अनुसार किसी व्यष्टि को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी है तो यह समझा जाएगा कि वह उस राज्य का निवासी है जहां पर इसके प्रभावी प्रबन्धन का स्थान अवस्थित है । यदि वह निश्चित नहीं किया जा सकता है कि प्रभावी प्रबन्धन का स्थान कहां अवस्थित है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे ।"

अनुच्छेद - 3

अभिसमय के अनुच्छेद - 6 के पैरा 1 के स्थान पर निम्निलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"1• किसी एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी दूसरे संविदाकारी राज्य में अवस्थित अचल सम्पत्ति हैकृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय सिंहत सम्पत्ति से अर्जित आय पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है"।

अनुच्छेद - 4

अभिसमय के अनुदृष्ठेद - 10 के पैरा 2 में "20 प्रतिशत" के स्थान पर "15 प्रतिशत" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

अनुच्छेद - 5

अभिसमय के अनुच्छेद - 11 के पैरा 2 में "15 प्रतिशत" के स्थान पर "10 प्रतिशत" -प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

अनुच्छेद - 6

अभिसमय के अनुस्केंद्र 12 के पैरा 2 में "30 प्रतिशत" की जगह "10 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाता है।

अनुच्छेद - 7

अधिसमय के अनुद्देश्वर 13 के पैरा 1 को निम्निलिखत द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :
"1 • अनुद्देश्वर 6 में संदर्भित तथा अन्य संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पित के हस्तांतरण से संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा प्राप्त आय अथवा अधिलामों पर भी उस अन्य राज्य में कर लगाया जा सकता है ।"

अनुच्छेद - 8

- अधिसमय के अनुकृष्टेद 24 के पैरा 2 को निम्निलिखत के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता
 है:
- "2 किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का स्थायी प्रतिष्ठान यदि किसी दूसरे संविदाकारी राज्य में हो तो उस पर कराधान उद्ग्रहण उतना ही अनुकूल होगा जितना कि किसी अन्य संविदाकारी राज्य के समान प्रकार के कार्यकलाप करने वाले उद्यमों पर कराधान उद्गृहणीय हो। इस उपबंध का आशय किसी संविदाकारी राज्य को किसी स्थायी प्रतिष्ठान के लामों को लेने से

ŧ

रोकने के रूप में नहीं समझा जाएगा जिसे अन्य संविदाकारी राज्य की एक कम्पनी ने प्रधम उल्लिखित राज्य में प्रधम उल्लिखित संविदाकारी राज्य की उसी कम्पनी के लामों पर लगाए गए कर की अपेक्षा उच्च कर की दर लगाई हो ।"

2. अधिसमय के अनुस्केद 24 के पैरा 4 के तुस्त बाद एक नया पैरा 5 अन्तःस्थापित किया गया है तथा अनुस्केद के मूल पैरा 5 को पैरा 6 के रूप में फिर से अंकित किया गया है।
"5. यह अनुस्केद संविदाकारी राज्य के कराधान कानूनों के किसी भी प्रावधानों पर लागू नहीं होगा जो तर्कसंगत रूप से करों के परिहार अधवा अपंवचन को रोकने अधवा निष्फल करने के लिए बनाए गए हैं।"

अनुच्छेद - 9

- गं संविदाकारी राज्य इस प्रोतोकोल को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में राजनियक माध्यमों द्वारा एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे ।
- 2. यह प्रोतोकोल इस अनुस्केद के पैरा 1 में संदर्भित परवर्ती सूचनाओं की प्राप्ति की तारीख के 30 दिन के पश्चात् प्रभावी होगा और इसके उपकंध प्रभावी होंगे :
 - हैक है न्यूजीलैंड में : इस प्रोतोकोल के लागू होने की तारीस के तुरन्त बाद कैलेण्डर वर्ष में एक औपल को अथवा उसके बाद शुरू होने वाली किसी आय वर्ष के लिए।
 - श्वश भारत में : इस प्रोतोकोल के लागू होने की तारीख के तुरन्त बाद कैलेण्डर वर्ष
 में एक औ्रेल को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी "पूर्व वर्ष" के लिए

 शैजैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 में परिमाषित किया गया है

 ।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी संबंधित सरकारों दारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत किए जाने 'पर इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं।

में दिनांक जून 21, 1999 को हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में, दो प्रतियों में किया गया है। दोनों पाठ समान रूप से प्रमाणित हैं, दोनों पाठों में अन्तर होने पर अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

कृते न्यूजीलैंड सरकार (एडरियन जी. सिमकॉक)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2000

INCOME-TAX

G.S.R. 37(E).— Whereas the annexed Second Protocol to the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of New Zealand for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income comes into force on 30th December, 1999, thirty days after the date of receipt of later of notifications by both the Contracting States to each other, under Article 9 of the Second Protocol, of the completion of the procedures required under their respective laws for bringing into force of the said Second Protocol.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Second Protocol shall be given effect to in the Union of India.

[Notification No. 11202/F No 500/151/93-FTD] VIJAY MATHUR, Jt. Secy

ANNEXURE

SECOND PROTOCOL TO THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF NEW ZEALAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.

SECOND PROTOCOL

TO THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF NEW ZEALAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of New Zealand,

Having regard to the Convention between the Government of the Republic of India and the Government of New Zealand for the avoidance of double

taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income done at Auckland on the 17th day of October 1986 (hereinafter referred to as "the Convention"),

Have agreed as follows:

Article 1

Paragraph 1(a)(ii) of Article 3 of the Convention is replaced by the following:

"(ii) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and the airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea:"

Article 2

Paragraph 3 of Article 4 of the Convention is replaced by the following:

"3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. If the State in which its place of effective management is situated cannot be determined, then the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement."

Article 3

Paragraph 1 of Article 6 of the Convention is replaced by the following:

"1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry)

situated in the other Contracting State may also be taxed in that other State."

Article 4

In paragraph 2 of Article 10 of the Convention, "20 percent" is replaced by "15 percent".

Article 5

In paragraph 2 of Article II of the Convention, "15 percent" is replaced by "10 percent".

Article 6

In paragraph 2 of Article 12 of the Convention, "30 percent" is replaced by "10 percent".

Article 7

Paragraph 1 of Article 13 of the Convention is replaced by the following:

"1. Income or gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may also be taxed in that other State."

Article 8

- 1. Paragraph 2 of Article 24 of the Convention is replaced by the following:
 - "2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first-mentioned

State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first-mentioned Contracting State."

- 2. A new paragraph 5 is inserted immediately after paragraph 4 of Article 24 of the Convention and the original paragraph 5 of the Article is renumbered paragraph 6.
- "5. This Article shall not apply to any provisions of the taxation laws of a Contracting State which are reasonably designed to prevent or defeat the avoidance or evasion of taxes."

Article 9

- 1. The Contracting States shall notify each other through diplomatic channels of the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of this Protocol.
- 2. This Protocol shall enter into force 30 days after the date of receipt of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article and its provisions shall have effect:
- (a) in New Zealand: for any income year beginning on or after 1st April in the calendar year next following the date on which the Protocol enters into force;
- (b) in India: for any "previous year" (as defined in the Income-tax Act, 1961) beginning on or after 1st April in the calendar year next following the date on which the Protocol enters into force.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed this Protocol

Done in duplicate at New Delhi this twenty first day of June, 1999 in the Hindi and English languages, both texts being equally authentic. In case of divergence between the two texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of the Republic of India (RAVI KANT) For the Government of New Zealand (ADRIAN G SIMCOCK)